<u>न्यायालय सिविल जज (प्र०खं०)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच।</u>

मुकदमा संख्या–2366/2023

मुनीर–––––**बनाम**–––––दुलारे आदि।

धारा– 156 (3) द०प्र०सं०

थाना– को० नानपारा, जनपद– बहराइच।

<u>27–09–2024</u>

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० दिनांक 08.08.2023 को न्यायालय में संस्थित किया गया था। प्रार्थी लगातार अनुपस्थित है तथा प्रार्थी की ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर मात्र आदेश पत्रक अवलोकित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी की लगातार अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बल अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

कृष्ण कुमार सप्तम,
सिविल जज (प्र०खं०)/ए०सी०जे०एम०
बहराइच।
J.O. Code – UP 2126